



म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



(मध्यप्रदेश शासनका उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

रजिस्टर्डआफिस: ब्लाकनं. 2 शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041

फैक्स:(0761) 2664450,e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in,

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/पांच/3268


दिनांक 12/10/2017

आदेश

बोनस भुगतान अधिनियम 1965 एवं तत्संबंध में किये गये संशोधनों के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपने उन कर्मचारियों, जिनका वेतन (Salary or Wages) 2016-17 गणना वर्ष में ₹ 21,000/- प्रतिमाह से अधिक न हो, के लिए वर्ष 2016-17 के लिए 8.33% की दर से, अधिकतम ₹ 7000/- तथा न्यूनतम ₹ 100/- एतद् द्वारा बोनस स्वीकृत किया जाता है। उक्त बोनस का भुगतान पूर्ववर्ती म.प्र. विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक कावि/एक/2968 दिनांक 27.06.1967 के साथ संलग्न परिशिष्ट के प्रावधानों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों के अंतर्गत देय होगा। वेतन की राशि की गणना कर्मचारी के लेखा वर्ष 2016-17 में प्राप्त वास्तविक वेतन के आधार पर ही की जावेगी तथापि, अधिकतम वेतन राशि की सीमा ₹ 21,000/- प्रतिमाह मान्य होगी।

- उपरोक्त वेतन (Salary or Wages) में कर्मचारी द्वारा गणना वर्ष 2016-17 में प्राप्त वेतन एरियर्स, जो दे दिया गया हो, की भी गणना होगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के पूर्व की अवधि का जो एरियर्स प्राप्त किया गया हो वह बोनस के लिए गणना योग्य नहीं होगा।
- उपरोक्त भुगतान में होने वाले व्यय को कर्मचारी लागत (Employee Cost) में लिया जावेगा।
- बोनस का भुगतान दीपावली के पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जाये।

आदेशानुसार


मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.),
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ 3269
प्रतिलिपि-

दिनांक 12/10/2017

- कार्यपालक निदेशक (मा.सं.वि.)/(सी.आर.ए.)/म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(योजना एवं रूपांकन)/(प्रोक्चोरमेंट)/(अउदा-निर्माण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(अउदा-संधारण एवं निरीक्षण),
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- मुख्य अभियंता(ट्रांस.-पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/ इंदौर।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल-ट्रांसमिशन), (आईटी-ईआरपी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण)/(400 के.व्ही. उपकेन्द्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/(संचार)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधा)/(ट्रांस-स्टोर)/(राज्य उपभार प्रेषण)/(कर्मशाला)/(400 के.व्ही. परीक्षण) संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- कम्पनी सचिव/कल्याण अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर / भोपाल / इंदौर।
- वेब मास्टर।
- आदेश नस्ती।


अधीक्षण अभियंता-दो